

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/फिजियो/21/2024

दिनांक 3 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथैरेपिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती आभा बिष्ट	फिजियोथैरेपिस्ट	जिला चिकित्सालय हरिद्वार	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

20289

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/21/2024

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय हरिद्वार/पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पैमे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/21/2024

दिनांक 13 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथैरेपिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री मदन गोपाल जोशी	फिजियोथैरेपिस्ट	उप जिला चिकित्सालय रुडकी, हरिद्वार	जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण करते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/21/2024

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय रुडकी, हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जि०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/फिजियो/21/2024

दिनांक 13 अगस्त, 2024

-आदेश-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित फिजियोथेरेपिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मीना भण्डारी चौधरी	फिजियोथेरेपिस्ट	जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग	जिला चिकित्सालय हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/फिजियो/21/2024

20/791

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

31/08/24
(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक 13 अगस्त, 2024

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती तिल्लोत्तमा नेगी	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चम्बा, टिहरी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला, देहरादून	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्री दिनेश सिंह रावत		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोईवाला, देहरादून	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चम्बा, टिहरी	

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवाधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

20785

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०ने०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

दिनांक 3 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री राजेन्द्र राम	दृष्टिमितिज्ञ	जिला चिकित्सालय अल्मोडा	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

20281

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/पिथौरागढ़।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय अल्मोडा/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

पत्र संख्या- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

-आदेश-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री संतोष कुमार	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिखणीखाल, पौड़ी	जिला चिकित्सालय पौड़ी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

20229

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जि०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मै०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

दिनांक 13 अगस्त, 2024

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नीरज उपाध्याय	दृष्टिमितिज्ञ	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोडा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

20227

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल/रानीखेत, अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० युफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अजयपाल सिंह	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम, टिहरी गढवाल	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल/नैनीताल।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सिद्ध प्रकाश तिवारी	दृष्टिमितिज्ञ	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगोलीहाट, पिथौरागढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हल्द्वचौड, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

20 273

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जि०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०ने०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

दिनांक- 3 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित दृष्टिमितिज्ञ संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती आरती सोती	वरिष्ठ दृष्टिमितिज्ञ	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोडा	बेस महिला चिकित्सालय सिमली, चमोली	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आंहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/नेत्र/22/2024

20783

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अल्मोडा/चमोली।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा/चमोली।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकि० रानीखेत, अल्मोडा/बेस महिला चिकि० सिमली, चमोली।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो घुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024

दिनांक- 3 अगस्त, 2024

:-आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुनील कुमार	एक्स-रे टैक्नीशियन	जिला चिकित्सालय बागेश्वर	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिक को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/ 2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बागेश्वर/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

तददिनांक।

(जोएसो युफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024

दिनांक- 3 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती कंचन चंद	एक्स-रे टैक्नीशियन	जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़	उप जिला चिकित्सालय टनकपुर, चम्पावत	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रमाण प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/ 20769

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकि० पिथौरागढ़/उप जिला चिकि० टनकपुर, चम्पावत।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

तददिनांक।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/

दिनांक-13 अगस्त, 2024

-आदेश-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री हेमन्त कुमार सिंह	एक्स-रे टैक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किच्छा, उधमसिंहनगर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुयालबाडी, नैनीताल	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयवधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की रिथति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/

70267

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधमसिंहनगर/नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जोएसो चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पी०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/

दिनांक 13 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री वेद प्रकाश प्रजापति	एक्स-रे टैक्नीशियन	उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल	उप जिला चिकित्सालय रानीखेत, अल्मोडा	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

20265

तददिनांक।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- मुख्य/वरिष्ठ दोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल/रानीखेत, अल्मोडा।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे०एस० चुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै०मे०)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

--आदेश--

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित एक्स-रे टैक्नीशियन संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुधीर कुमार	एक्स-रे टैक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्सर, हरिद्वार	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगा जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा- 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/एक्स-रे/23/2024/

20267

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पौड़ी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0एस0 कुमाल)
सांयुक्त निदेशक (पै0मै0)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/कुष्ठ/24/2024

दिनांक- 13 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग के एच0ई0 पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर पारस्परिक स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री बी0आर0 तोमर	एच0ई0	अधीन जिला कुष्ठ अधिकारी, पौड़ी	अधीन जिला कुष्ठ अधिकारी, देहरादून	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्री स्वराज सिंह		अधीन जिला कुष्ठ अधिकारी, देहरादून	अधीन जिला कुष्ठ अधिकारी, पौड़ी	

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/कुष्ठ/24/2024

20804

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/देहरादून।
- जिला कुष्ठ अधिकारी पौड़ी/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

21/08/24
(जे0एस0 बुफाल)
संपुक्त निदेशक (पै0मे0)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 3प/पैरा/कुष्ठ/24/2024

दिनांक 3 अगस्त, 2024

-:आदेश:-

एतद्वारा शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 221278 /XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 223526/XXX(2)/2024/E-33080, दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अर्न्तगत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित कुष्ठ संवर्ग के एन0एम0एस0 पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-04 से कॉलम-05 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री ख्याली राम सती	एन0एम0एस0	कुष्ठ नियंत्रण इकाई नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र बेतालघाट, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- सम्बन्धित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(तारा आर्या)
महानिदेशक।

पत्र संख्या:- 3प/पैरा/कुष्ठ/24/2024

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- जिला कुष्ठ अधिकारी नैनीताल।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(जे0एस0 वुफाल)
संयुक्त निदेशक (पै0मे0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या- 35/नर/कुष्ट/24/2024

दिनांक-13 अगस्त 2024

-आदेश-

एम्प्लॉय शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(G)/2018/20(1)/2017 दिनांक- 05 जनवरी, 2018 शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06 फरवरी, 2018 एवं शासनादेश संख्या- 22/278/XXXII/2024E-33080 दिनांक- 28 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या- 22/628/XXXII(2)/2024E-33080 दिनांक- 08 जुलाई, 2024 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय सत्र पर पठित स्थानान्तरण द्वारा दिये गये अनुमोदन के तहत में निम्नलिखित कुष्ट वर्ग के एम्प्लॉय(एम्प) परवर्गक को उनके नाम के सम्बन्ध अंकित कॉलम-14 से कॉलम-15 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है-

क्र.सं.	कार्यक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अनुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जी.डी.0 घाम्हे	एम्प्लॉय(एम्प)	अर्धन जिला कुष्ट अधिकारी उधनसिंहनगर	अर्धन जिला कुष्ट अधिकारी मिथौरगढ़	जनहित

- सम्बन्धित कार्यक को एक सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानों की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/पूरा करवाते हुए इनर प्रनाम पर सभी सम्बन्धितों को सूचना कराये जाये। निर्धारित समयवधि में अनुमति न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी को चोरेज पत्रिका में तदनुसार प्रेषित कराते हुये उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्यक का अवकाश स्वीकृत न किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्यक द्वारा उभरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दावा अपने सत्र के या किसी अन्य माध्यम से हलचल पर उसके विरुद्ध कार्यवाही अचरण नियमवली-2002 के अनुसार निरन्तर आदे की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित कार्यकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- उपरोक्त निर्धारित आदे के प्रकाश का वेतन सम्बन्धित कार्यक के नवीन तैनाती स्थान से अहसित किया जाये।

/ (स) अर्धन
महानिदेशक।

संख्या- 35/नर/कुष्ट/24/2024

20800

रविवार।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुनाऊ नगड, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधनसिंहनगर/मिथौरगढ़।
- जिला कुष्ट अधिकारी, उधनसिंहनगर/मिथौरगढ़।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधनसिंहनगर/मिथौरगढ़।
- सम्बन्धित कार्यक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

/ (स) अर्धन
13/08/24
मुख्य निदेशक (नर)